भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2955

सोमवार 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक)

निजी क्षेत्र में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

2955. श्री दुर्गा दास उइके:
श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की कोई योजना विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या आकांक्षी जिलों में श्रमिक कल्याण के लिए कोई नई योजना प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, निजी क्षेत्र सहित अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दर को नियत करने का प्रावधान करता है। केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कामगारों के न्यूनतम वेतन को नियत, पुनर्विचार तथा संशोधन करने हेतु समुचित सरकारें हैं तथा इस तरह नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के लिए समान हैं। मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत, समुचित सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, और संगठित और असंगठित क्षेत्रों के सभी नियोजनों पर लागू होती है। न्यूनतम मजदूरी से संबंधित मजदूरी संहिता, 2019 के उपबंध लागू नहीं हुए हैं।

जारी..2/-

(ख) से (ङ): सरकार असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 कार्यान्वित कर रही है ताकि निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के माध्यम से असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके - (i) जीवन और निःशक्तता कवर; (ii) स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ; (iii) वृद्धावस्था संरक्षण; और (iv) कोई अन्य लाभ जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और निःशक्तता कवर प्रदान किया जाता है। पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है और यह 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता के मामले में 2.00 लाख रुपये के जोखिम कवरेज के साथ उपलब्ध है।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) में 27 विशिष्टताओं में 1949 उपचार प्रक्रियाओं के अनुरूप द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रत्येक पात्र परिवार को 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।

वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000/- रुपये मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के वैसे असंगठित कामगार, जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा समान मैचिंग अंशदान का भुगतान किया जाता है।

सरकार ने अगस्त 2021 में ई-श्रम पोर्टल को आरंभ किया था, जिसका उद्देश्य असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/कल्याण योजनाओं की प्रदायगी को सुविधाजनक बनाना है। दिनांक 02.08.2023 की स्थिति के अनुसार 28.99 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

*****